whose Hindi editions also have been published; and

(b) what decision has been taken regarding the publication of the Gazetteers pertaining to Hindi-speaking regions in Hindi also?]

वैज्ञानिक अनुसंधान और सांस्कृतिक कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (डा० मनमोहन दास) : (क) पिछले छः महीनों में दो डिस्ट्रिक्ट गजेटियर प्रकाशित किये गये । हिंदी का कोई संस्करण प्रकाशित नहीं किया गया है।

(ख) यह सूचना मिली है कि उत्तर प्रदेश की सरकार ने डिस्ट्रिक्ट गजेटियरों के हिन्दी संस्करण निकालने का निश्चय किया है । किसी दूसरी राज्य सरकार से ऐसे निर्णय की सूचना नहीं मिली है ।

†[THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF SCIENTIFIC RESEARCH AND CULTURAL AFFAIRS (DR. MONO MOHAN DAS): (a) Two District Gazetteers were published during the last six months. No Hindi edition has been published.

(b) It is reported that the Government of Uttar Pradesh have decided to publish Hindi editions of the District Gazetteers. No such decision has been communicated by any other State Government.]

विभिन्न पार्टियों को प्राप्त हुए मत

१८६. **श्री नवाबसिंह चौहान** : क्या **विधि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) तीसरे आम चुनावों में किस किस पार्टी को कितने कितने मत प्राप्त हुए; और

(ख) पार्टी की मान्यता के लिये कितने प्रतिशत मत प्राप्त करना आवश्यक है और कितनी पार्टियां मतों की आवश्यक प्रतिशतता प्राप्त न कर सकने के कारण मान्यता प्राप्त करने के अधिकार से वंचित हो गई है ?

†[VOTES SECURED BY VARIOUS PARTIES

189 SHRI NAWAB SINGH CHAUHAN: Will the Minister of LAW be pleased to state:

(a) the number of votes secured by each party in the Third General Elections; and

(b) the percentage of votes required for the recognition of a party and the number of parties which have been deprived of the right of recognition as a result of not securing the required percentage of votes?]

विधि मंत्रालय में उपमंत्री (श्री आर० एम० हजरनवीस) : (क) अभी हुए आम चुनावो मे विभिन्न राजनीतिक पार्टियो को कितने कितने मत मिले है ; इस सम्बन्ध में निर्वाचन आयोग को अभी तक पूरी सूचना उपलब्ध नही हुई है । उक्त सूचना एकत्र हो रही है और उसकी छानबीन की जा रही है, किन्तु इस काम मे अभी कुछ समय लगेगा ।

(ख) प्रतीकों के आवंटन के निमित्त पार्टी की मान्यता के लिये यह आवश्यक है कि उसे किसी राज्य मे कुल मान्य मतों के चार प्रतिशत मत प्राप्त हुये हों । पार्टियो को मिले मतों सम्बन्धी सम्पूर्ण जानकारी के प्राप्त होते ही, इस आधार पर राजनीतिक पार्टियों को मान्यता देने सम्बन्धी स्थिति का पुनर्विलोकन किया जायेगा ।

†[THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF LAW (SHRI R. M HAJARNAVIS): (a) Complete information about the votes polled by the political parties at the recent general

†[ ] English translation.

elections is not yet available in the Election Commission It is being collected and analysed but the process will take some time

(b) For getting recognition for the allotment of a symbol, a party has to secure 4% of total valid votes in a State The position regarding the recognition of political parties on this basis will be reviewed as soon as complete information about the votes polled by the parties is available]

आम चुनावों में फिर से मतदान होने के मामले

१९० श्री नवाबसिंह चौहान · क्या विधि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) तीसरे आम चुनावों में कितने स्थानों पर फिर से मतदान कराया गया और बहुधा इसका कारण क्या था, और

(ख) कितने मामलों में चुनाव आयोग से परामर्श लिया गया अथवा आज्ञा ली गई ?

†[CASES OF REPOLL IN THE GENERAL ELECTIONS

190 SHRI NAWAB SINGH CHAUHAN Will the Minister of LAW be pleased to state:

(a) the number of places where there has been a repoll in the Third General Elections and what was generally the reason therefor, and

(b) the number of cases in which reference was made to the Election Commission for advice or orders?]

विधि मंत्रालय में उपमंत्री (श्री आर० एम० हजरनवीस) . (क) निर्वाचन आयोग ने दो मामलों में जो (दोनों उत्तर प्रदेश के थे) पुनर्मतदान का आदेश दिया। पुनर्मतदान के लिये आदेश देने के कारण निम्नलिखित थे --

(१) एक मामले में तो बात यह थी कि दाइपुर और जालापुर गावों की जो कि फूलपुर सभा निर्वाचन क्षेत्र में मतदान केन्द्र सख्या ८६ को वटित किये गये थे, निर्वाचक नामावलियों को असावधानी से निर्वाचक नामावली के उस भाग में शामिल कर दिया गया था जो कि मतदान केन्द्र सख्या ८७ के लिये नियत था । इस में अन्तर्ग्रस्त मत-दाताओं की कुल सख्या ३४७ थी जिन में से जालापुर गाव के लगभग ६० मतदाताओं ने तो मतदान केन्द्र सख्या ८७ में जा कर मत दे दिये थे । अन्य निर्वाचक जो कि मतदान केन्द्र सख्या ८६ में पहुचे थे अपने मताधिकार का प्रयोग नहीं कर सके ।

(२) दूसरे मामले में यह बात थी कि सराय ख्वाजा कला गाव की जो कि उसी निर्वाचन क्षेत्र में मतदान केन्द्र सख्या १० के अन्तर्गत था निर्वाचक नामावलि असावधानी से मतदान केन्द्र में नहीं भेजी गई थी । इस का परिणाम यह हुआ था कि इस गाव के निर्वचक जिनकी सख्या ४७ थी अपने मताधिकार का प्रयोग नहीं कर सके ।

(ख) लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, १९५१ की धारा ५८ में अपेक्षितानुसार पाच मामले निर्वाचन आयोग को भेजे गये थे (जिन में से दो बिहार राज्य के और तीन उत्तर प्रदेश राज्य के थे) ।

†[THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF LAW (SHRI R M HAJARNAVIS) (a) The Election Com-

†[ ] English translation